सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर
पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

संख्या– 39/2021

एमएस– 2021/120

यर दिनांक– 30.09.2021

निर्णय दिनांक– 18.10.2021

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. श्री रामदयाल जी गुरू स्वामी श्री 1008 जी महाराज आचार्य अन्तर्राष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय एवं अध्यक्ष श्री रामनिवास धाम ट्रस्ट मुख्य पीठ शाहपुरा जिला भीलवाड़ा जरिये मुख्तयारआम संत श्री जगवल्लभराम चेला स्वामीजी श्री 1008 श्री रामदयाल जी महाराज हाल निवासी रामद्वारा पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।

वादपत्र अंतर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

उपस्थिति– **1.श्री पवन चौधरी, वादी अभि0।**

2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान खसरा नंबर 854 रकबा 0.43 है0 जिसके गत खसरा नंबर 248 मिन जो कि खसरा नंबर 107/1633 से बने हैं, जो वाके ग्राम पुष्कर पटवार हल्का पुष्कर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार मुकुट बिहारी पुत्र विनोदी लाल भार्गव निवासी अजमेर हाल निवासी चौमू हाउस जयपुर के नाम खातेदारी में दर्ज है। मुकट बिहारी भार्गव द्वारा दिनांक 22.03. 1980 को दीपाली भार्गव पुत्र श्री सुरेन्द्र नाथ भार्गव एवं सुरेन्द्र नाथ भार्गव पुत्र मुकुट बिहारी भार्गव को जरिये रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड निष्पादित की गई जिसके पश्चात् दीपाली भार्गव व सुरेन्द्र नाथ भार्गव द्वारा दिनांक 05.07.1981 को उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात श्री 1008 रामकिशोर जी महाराज प्रधान पीठाधीश अन्तर्राष्ट्रीय श्री रामस्नेही सम्प्रदाय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया और श्री रामकिशोर जी महाराज के स्वर्गवास के पश्चात् वादी को रामस्नेही सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:22 IST
Reason: SelfAttested

18.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

...स्वर्गवास के पश्चात् वादी को रामस्नेही सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार ...पद पर आसीन किया गया। उपरोक्त सभी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तस्दीक किये ... है। जिसकी प्रतियां भी राजस्व कर्मचारियों को दी जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल ...द किए जाने का निवेदन किया किन्तु राजस्व कर्मचारी एवं तहसीलदार महोदय द्वारा ...ोई कार्यवाही नहीं की गई एवं आज भी वादग्रस्त आराजीयात मुकुट बिहारी पुत्र विनोदी लाल के नाम अंकन है जो वादी के पक्ष में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपरीत है अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना वांछित है। जिस हेतु उक्त वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञाप्ति एवं उदघोषणा खातेदारी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी फरमाये जाने हेतु यह वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 1 (तहसीलदार, पुष्कर) द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया।

पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.10.2021 को पत्रांक तह.पु/राजस्व/2021/3009 न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत ज़वाब दावा में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि " **चौसाला जमाबंदी संवत् 2023–26 में खाता संख्या 114 में खसरा नंबर 170/1633 रकबा 34–14–00 बीघा दुर्गा शंकर उर्फ रईस भगवान वल्द शिवनारायण ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज थी। प्रार्थी वादी द्वारा पंजीबद्व विक्रय पत्र प्रस्तुत किया जिसमें पृष्ठ सं0 05 में उल्लेखित है कि उक्त तीन बीघा भूमि में से 3875 वर्गगज भूमि ता.दि. 9 सितम्बर 1965 को खरीदी गई थी तथा बकाया 1937 वर्गगज भूमि 9 मार्च 1966 को खरदी की थी। जिस बैनामा की रजिस्ट्री का इन्द्राज बही नंबर 1 की जिल्द नंबर 262 के क्रमांक 968 पृष्ठ संख्या 195 से 200 पर दिन. 12 अप्रैल 1966 को किया गया, यह उल्लेखित है। तो अनुमानतः उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर मुकुट बिहारी भार्गव पुत्र विनोदी लाल भार्गव निवासी अजमेर के नाम दर्ज हुई होगी लेकिन इससे संबंधित साबिक जमाबंदी में नोट दर्ज नहीं है। उक्त विक्रय पत्र की प्रति संलग्न है। तत्पश्चात् चौसाला खसरा नंबर 170/1633 के नवीन वर्किंग ख.नं. मिलान क्षेत्रफल अनुसार 248 मी. रकबा 0.43 बना जो खाता संख्या 231 में मुकुट बिहारीलाल पुत्र विनोदी लाल भार्गव निवासी जयपुर रोड़ अजमेर के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा उपलब्ध कराये दान पत्र अनुसार खातेदार मुकुट बिहारी लाल पुत्र विनोदी लाल भार्गव ने 22.03.1980 को दीपाली भार्गव पुत्र श्री सुरेन्द्रनाथ भार्गव को दान की एंव तत्पश्चात् पंजीयन विक्रय पत्र द्वारा श्री ... 1008 श्री रामकिशोर जी महाराज प्रधान पीठाधीश अन्तर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही सम्प्रदाय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा राजस्थान को विक्रय कर दी जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं है। उक्त विक्रय पत्र में यह उल्लेखित है कि दाता ... श्री मुकुट बिहारी लाल जी भार्गव ने इस निम्न भूमि को राजस्थान जमींदारी बिस्वेदार उत्सादन अधिनियम 1959 की धारा 6 के अन्तर्गत श्रीमान् उप–जिलाधिकारी महोदय अजमेर की न्यायालय में अपनी निजी संपत्ति**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:22 IST
Reason: Self Attested

18.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

के लिए अपना प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन [illegible] ... में पटवार मण्डल स्तर पर कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में ... से स्वयं के स्तर पर सभी कार्यवाही एवं वर्तमान स्थिति से संबंधित जानकारी एवं ... लिया जाना उचित है। उपरोक्त तथ्यों के आधार एवं साबिक रिकॉर्ड अनुसार एवं ... रिकॉर्ड अनुसार उक्त पंजीयन उपहार व बेचाननामा का रिकॉर्ड में अमल नहीं हुआ। वर्तमान में प्रथम व्यक्ति के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। वर्तमान में मौके पर रामदयाल जी गुरू स्वामी श्री 1008 जी महाराज आचार्य अन्तरराष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय एवं अध्यक्ष श्री रामनिवास धाम ट्रस्ट मुख्य पीठ शाहपुरा जिला भीलवाडा हाल निवासी तहसील पुष्कर जिला अजमेर का आश्रम निजी तौर पर बना है। वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर पर वर्तमान में किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं होने एवं न ही किसी न्यायालय का स्थगन है। अतः वादी के शपथ पत्र अनुसार एवं उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन एवं स्थगन संबंधी कोई रिर्कार्ड उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त बिन्दु सं. 5 में उल्लेखित वाद के संबंध में वादी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही, विवरण लेने पश्चात साबिक रिकॉर्ड एवं हाल रिकॉर्ड व विक्रय पत्र व उपहार के आधार पर नियमानुसार निर्णय किया जाना उचित है।

वकील वादी एवं पैरोकार सरकार की सहमति होने से तनकीयात कायम नहीं की गई तथा वकील वादी ने वादी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार ने प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करने बाबत् सहमति प्रदान की जिस पर उभयपक्ष की साक्ष्य बंद की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावे को ही बहस मनाते हुए अनुतोष पर विचारण किया गया।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में वादी अपने हक हिस्से की उद्घोषणा अंतर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर मौजा पुष्कर पटवार हल्का पुष्कर की आराजीयात खाता संख्या 439 के खसरा नंबर 854 रकबा 0.43 है0, जो कि मुकुट बिहारीलाल पुत्र विनोदीलाल जाति भार्गव सा. अजमेर हिस्सा पूर्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है की उद्घोषणा किये जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है एवं अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत जवाब दावा तहसीलदार पुष्कर के आधार पर खाता संख्या 439 के खसरा नंबर 854 रकबा 0.43 है0 में मुकुट बिहारीलाल पुत्र विनोदीलाल हिस्सा–पूर्ण जाति भार्गव निवासी सा.देह अजमेर के स्थान पर श्री 1008 रामकिशोर जी महाराज प्रधान पीठाधीश अन्तरराष्ट्रीय श्री रामस्नेही सम्प्रदाय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा को खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:22 IST
Reason: SelfAttested

18.10.21,
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

ा करें। इस आशय की डिक्री पर्चा बनाया जाकर शामिल मिसल किया।
की राजस्व अभिलेख में अमल दरामद एवं पालनार्थ हेतु तहसीलदार पुष्कर
जारी की जावें।

निर्णय दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया
।

18.10.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर0ए0एस)
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:22 IST
Reason: SelfAttested